राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027

दिनांक–24/10/2018

पत्रांक–4540 /127/तीन/96 vol-III

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
समस्त जनपद।

विषय–उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1695/69–1–2018–14(67)/2018 दिनांक 26.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

2. सन्दर्भित पत्र के साथ मुख्य सचिव, नियोजन विभाग (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) के पत्र दिनांक 31.08.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से अधिसूचना एवं नियम जारी किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

3. उपरोक्त शासन के माध्यम से प्राप्त पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पत्र के कम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग, उ0प्र0शासन को उनके पत्र संख्या–1695/69–1–2018–14(67)/2018 दिनांक 26.09.2018 के कम में प्रेषित।
2. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, समस्त जनपद।
3. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
4. सहायक परियोजना अधिकारी, एनयूएलएम, सूडा।
5. श्री योगेश आदित्य, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा को उपरोक्त सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027

पत्रांक–4540/127/तीन/96 vol-III

दिनांक– 24/10/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
समस्त जनपद।

विषय–उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1695/69–1–2018–14(67)/2018 दिनांक 26.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

2. सन्दर्भित पत्र के साथ मुख्य सचिव, नियोजन विभाग (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) के पत्र दिनांक 31.08.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से अधिसूचना एवं नियम जारी किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

3. उपरोक्त शासन के माध्यम से प्राप्त पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पत्र के कम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

23/10/2018

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0शासन को उनके पत्र संख्या–1695/69–1–2018–14(67)/2018 दिनांक 26.09.2018 के कम में प्रेषित।
2. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, समस्त जनपद।
3. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
4. सहायक परियोजना अधिकारी, एनयूएलएम, सूडा।
5. श्री योगेश आदित्य, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा को उपरोक्त सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

संख्या—1695 / 69—1—2018—14(67) / 2018

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) के पत्र दिनांक 31.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से अधिसूचना एवं नियम जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र में की गयी अपेक्षा के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

अनुस्मारक / पत्रांकः 04/7-290/ज0नि0प्र0/आधार टी0सी0-1/2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
बेसिक शिक्षा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, ग्राम्य विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला कल्याण, श्रम, कृषि, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, माध्यमिक शिक्षा, वन, पंचायती राज, नगर विकास, आयुष, मत्स्य, पशुपालन, समन्वय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

नियोजन विभाग (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) दिनांकः 31 अगस्त, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 (संलग्न) नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्याः 181/35-1-2018-2-1(30)-2017 दिनांक 07 मार्च, 2018 द्वारा प्रदेश में दिनांक 07 मार्च, 2018 से लागू किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के लागू होने के क्रम में आपके विभाग द्वारा अधिनियम के निम्न उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से अधिसूचना एवं नियम जारी किया जाना अपेक्षित था :-

1. उक्त अधिनियम के उपबन्ध 04 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि **"राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर और उसके पश्चात योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिये धारा-3 के अधीन ऐसा अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची समय-समय पर अधिसूचित करेगी"**। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में आपके विभाग द्वारा अपने विभाग की योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिये उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची अधिनियम लागू होने की तिथि यथा-07 मार्च, 2018 से तीन माह के अन्दर यथा-07 जून, 2018 तक अधिसूचित किया जाना अपेक्षित था।

2. उक्त अधिनियम के उपबन्ध 08-(1) के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि **"राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है"**। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में आपके विभाग द्वारा अपने विभाग की योजनाओं को पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिये योजनाओं के अनुकूल उचित एवं सार्थक नियम बनाया जाना अपेक्षित था।

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में अधिनियम लागू होने के पूर्व में अग्रिम तैयारी किये जाने के लिये पत्र संख्या-01/7-290/ज0नि0प्र0/आधार टी0सी0-1/2017 दिनांक 20-02-2018 (संलग्न) एवं अधिनियम लागू होने के पश्चात पत्र संख्या- 02/7-290/ज0नि0प्र0/आधार टी0सी0-1/2017 दिनांक 20-03-2018 (संलग्न) निर्गत किये गये थे तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 09-03-2018 एवं नियोजन विभाग में आयोजित बैठकों दिनांक 21-03-2018, 27-03-2018, 11-04-2018, 16-05-2018, 31-07-2018 तथा 20-08-2018 में भी उक्त अधिनियम के उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से अधिसूचना एवं नियम जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु अभी तक आपके विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना एवं नियम जारी नहीं किये गये हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त अधिनियम के उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचना एवं नियम 15 दिनों के अंदर जारी करते हुये नियोजन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

(अनुराग यादव)
सचिव
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांकः 02/7-290/ज0नि0प्र0/आधार टी0सी0-1/2017

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

नियोजन विभाग, जनशक्ति नियोजन प्रभाग

दिनांकः 20 मार्च, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2018) नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्याः 181/35-1-2018-2-1(30)-2017 दिनांक 07 मार्च, 2018 (संलग्न) द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2018 से लागू किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के लागू होने के क्रम में आपके विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं पर समयबद्ध कार्यवाही की जानी है, जिस हेतु अधिनियम लागू होने के पूर्व में अग्रिम तैयारी किये जाने के लिये पत्र संख्या- 01/7-290/ज0नि0प्र0/आधार टी0सी0-1/2017 दिनांक 20-02-2018 (संलग्न) निर्गत किया गया था :-

1. उक्त अधिनियम के उपबन्ध 04 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि **"राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर और उसके पश्चात योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिये धारा-3 के अधीन ऐसा अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची समय-समय पर अधिसूचित करेगी"**। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिये उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन ऐसा अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची अधिनियम लागू होने की तिथि यथा-07 मार्च, 2018 से तीन माह के अन्दर अधिसूचित करने की कार्यवाही कर लिया जाना अपेक्षित है।

2. उक्त अधिनियम के उपबन्ध 08-(1) के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि **"राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है"**। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं को पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिये योजनाओं के अनुकूल उचित एवं सार्थक नियम बनाने का कार्य किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गयी अधिसूचना की प्रतियां पुनः संलग्न (संलग्नक 1-6) करते हुये आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिनियम के उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

9c

क्रमशः..2/-

पत्रांक व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव (सी0 एण्ड पी0जी0), मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली–110004
7. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाधक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. उपमहानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ–226001
15. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (उ0प्र0 एवं बिहार), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कानपुर–208005
16. महाप्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, एस0एल0बी0सी0, गोमती नगर, लखनऊ–226010
17. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, अपट्रान भवन, लखनऊ।
18. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0, लखनऊ।
19. स्टेट नोडल आफीसर, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पी0एफ0एम0एस0, लखनऊ।
20. हेड, स्टेट ई–गवर्नेन्स मिशन टीम, उ0प्र0।
21. विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
22. संसदीय कार्य अनुभाग–1
23. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
24. भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

9c

पत्रांकः 01/7–290/ज0नि0प्र0/आधार टी0सी0–1/2017

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

नियोजन विभाग, जनशक्ति नियोजन प्रभाग दिनांकः 20 फरवरी, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के लागू होने के पूर्व उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही करने हेतु अग्रिम तैयारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 को सरकारी गजट, उ0प्र0 असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) में विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्याः 2704/79–वि–1–17–1(क) 25/17 दिनांक 06 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है (प्रति संलग्न) तथा उक्त अधिनियम को लागू किये जाने हेतु अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर आपके विभाग द्वारा समयबद्ध कार्यवाही की जानी है, जिस हेतु पूर्व में अग्रिम तैयारी की जानी अपेक्षित है :–

1. उक्त अधिनियम के उपबन्ध 04 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि **"राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर और उसके पश्चात योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिये धारा–3 के अधीन ऐसा अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची समय–समय पर अधिसूचित करेगी"**। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिये उक्त अधिनियम की धारा–3 के अधीन ऐसा अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची अधिनियम लागू होने के तीन माह के अन्दर अधिसूचित करने की कार्यवाही कर लिया जाना अपेक्षित है।

2. उक्त अधिनियम के उपबन्ध 08–(1) के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि **"राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है"**। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं को पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिये योजनाओं के अनुकूल उचित एवं सार्थक नियम बनाने का कार्य किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गयी अधिसूचना की प्रतियां संलग्न (संलग्नक 1–6) करते हुये आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिनियम के लागू होने के पूर्व उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्य को करने हेतु अग्रिम तैयारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

क्रम-संख्या—62

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 7 मार्च, 2018
फाल्गुन 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग–1

संख्या 181/35-1–2018-2-1(30)-2017
लखनऊ, 7 मार्च, 2018

अधिसूचना

प०आ०—52

उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2018) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक को, जिस दिनांक को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा, नियत करते हैं।

आज्ञा से,
संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 181/XXXV-1–2018-2-1(30)-2017, dated March 7, 2018:

No. 181/XXXV-1–2018-2-1(30)-2017
Dated Lucknow, March 7, 2018

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017 (U.P. Act no. 8 of 2018), the Governor is pleased to appoint the date of publication of this notification in the *Gazette* as the date on which the said Act shall come into force.

By order,
SANJIV SARAN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 940 राजपत्र (हि०)–2018–(2887)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० नियोजन–2018–(2888)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

940 RPH niyojan-anu-1-2018 DATA-8

1La-H9-1-18

क्रम-संख्या—12

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018

पौष 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2704 / 79-वि—1—17—1(क) 25 / 17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2017

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2018]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के एकमात्र पहचानकर्ता के रूप में आधार का प्रयोग करते हुए सुशासन के उपाय के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षियत परिदान हेतु, जिसके लिए व्यय पूर्णतः राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं और किसी ऐसे उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषायें

2–(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आधार संख्या" का तात्पर्य केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या से है;

(ख) "राज्य सरकार का अभिकरण" का तात्पर्य स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के स्वाभीत्वाधीन तथा उसके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य निकाय सहित उत्तर प्रदेश राज्य में किसी केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निकाय और इसमें सम्मिलित ऐसे निकायों से है जिनकी संरचना और प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है;

(ग) "अधिप्रमाणन" का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या तत्सम्बन्धी कमी को सत्यापित करता है;

(घ) "प्रसुविधा" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रूप में किसी लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष या संदाय से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य प्रसुविधायें सम्मिलित हैं;

(ङ) "बायोमैट्रिक सूचना" का तात्पर्य फोटोग्राफ, फिंगर प्रिंट, आईरिस स्कैन, या केंद्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के अन्य जैविक प्रतीकों से है;

(च) "केन्द्रीय अधिनियम" का तात्पर्य आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 से है; अधिनियम संख्या 18 सन् 2016

(छ) "केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार" का तात्पर्य एक या अधिक अवस्थानों में ऐसे केंद्रीयकृत आंकड़ा आधार से है जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी समस्त आधार संख्याओं के साथ ऐसे व्यक्तियों की सम्बन्धित जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना तथा उससे संबंधित अन्य सूचना अन्तर्विष्ट है;

(ज) "संचित निधि" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से है;

(झ) "जनसांख्यिकीय सूचना" में नाम, जन्म–तिथि, पता और केंद्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति की अन्य सुसंगत सूचना से संबंधित सूचना सम्मिलित है किन्तु उसमें मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, संजातीयता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख सम्मिलित नहीं होंगे;

(ञ) "नामांकन" का तात्पर्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन से नामांकन अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया से है;

(ट) "सेवा" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपबंधित किसी व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या किसी अन्य सहायता से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं;

(ठ) "सहायिकी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में किसी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य सहायिकियां सम्मिलित हैं;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु ऊपर अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके लिये केन्द्रीय अधिनियम में समनुदेशित हैं।

3—यथास्थिति राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई अभिकरण, किसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा, जिसके लिए व्यय राज्य की संचित निधि या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित किसी निधि के अंश में से निकासी या प्राप्ति के माध्यम से पूर्णतया उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकती/सकता है कि ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है: कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिये आवश्यक आधार संख्या का सबूत

परन्तु यदि, जब तक कि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की जाती है, तब तक ऐसे व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रदान किया जायेगा।

4—राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर और उसके पश्चात योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिए धारा-3 के अधीन ऐसा अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची समय-समय पर अधिसूचित करेगी। राज्य सरकार द्वारा योजनायें अधिसूचित किया जाना

5—केंद्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और अध्याय छः के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छः का लागू होना

6—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में होंगे। अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अतिरिक्त होना न कि उसके अल्पीकरण में होना

7—इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं दायर होगी। सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

8—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले में उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं और अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है, की व्यवस्था किये जाने या उनका उपभोग किये जाने के प्रयोजनार्थ आधार संख्या के उपयोग की रीति को विनिर्दिष्ट करना;

(ख) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जा सकता हो या जिसके संबंध में नियमावली द्वारा उपबंध किया जाना हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिये सत्र में हो, रखा जायेगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी होगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन किसी नियम में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जायं अथवा दोनों सदन सहमत हो जायं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये और अपने इस आशय का विनिश्चय

गजट में अधिसूचित करें तो नियम यथास्थिति अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं होगा; तथापि यह कि इस प्रकार के उपान्तरण या रद्दकरण का प्रतिकूल प्रभाव उस नियम के अधीन पहले से की गयी या न की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर नहीं पड़ेगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

9—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति उत्पन्न होती है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधा सम्बन्धी योजनाओं, जो उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से वित्तपोषित हैं, के परिदान के लिये लक्ष्यित लाभार्थियों की उचित पहचान, इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रमों के ऐसे उचित लक्ष्यकरण से कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों यथा महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, प्रवासी, अकुशल और असंगठित कर्मकारों तथा घुमन्तू जनजातियों आदि को पूर्णतः आच्छादित करना सुगम होगा। लाभार्थियों की पहचान को अधिप्रमाणित करने की विश्वसनीय प्रणाली से अग्रतर यह सुनिश्चित होगा कि सहायिकी, प्रसुविधायें तथा सेवायें आशयित लाभार्थियों तक पहुँच सकें।

भारत सरकार ने विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधा सम्बन्धी योजनाओं, जो भारत की संचित निधि से वित्तपोषित हैं, के परिदान के लिये आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 57 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग किया जाना निवारित नही है। तदनुसार विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधा सम्बन्धी योजनाओं, जो उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से वित्तपोषित हैं, के परिदान के लिये आधार पहचान के उपयोग को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का अपना अधिनियम होना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के एकमात्र पहचानकर्ता के रूप में आधार का प्रयोग करते हुये सुशासन के उपाय के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं तथा सेवाओं, जिनके लिये व्यय पूर्णतः राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है, के लक्ष्यित परिदान हेतु और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2704(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka) 25/17

Dated Lucknow, January 6, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aadhaar (Vittiya Aur Anya Sahayikiyon, Prasuvidhaon Aur Sewaon Ka Lakshit Paridan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :–

THE UTTAR PRADESH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2017

(U.P. Act No. 8 of 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature).

AN

ACT

to provide for, as a good governance measure, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Uttar Pradesh using Aadhaar as a sole identifier, and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows: -

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017;

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "Aadhaar number" means an identification number issued to an individual under section 3 of the Central Act;

(b) "Agency of the State Government" means any authority or body established or constituted by any Central or State law in the State of Uttar Pradesh including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government;

(c) "authentication" means the process by which the Aadhaar number along with demographic information or biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;

(d) "benefit" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government, from time to time;

(e) "biometric information" means photograph, finger print, Iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act;

Act no. 18 of 2016.

(f) "Central Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(g) "Central Identities Data Repository" means a centralised database one or more locations containing all Aadhaar numbers issued to Aadha number holders along with the corresponding demographic information an biometric information of such individuals and other information related thereto;

(h) "Consolidated Fund" means a Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh;

(i) "demographic information" includes information relating to the name, date of birth, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlement, income or medical history;

(j) "enrolment" means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as provided under the Central Act;

(k) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individuals and includes such other services as may be notified by the State Government;

(l) "Subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as may be notified by the State Government, from time to time.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.

Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and services, etc.

3. The State Government or, as the case may be, any Agency of the State Government, may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from, or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund of the State, or any fund set up by any Agency of the State Government, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or, in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment :

Provided that, till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.

Notifying Schemes by State Government

4. The State Government shall, within a period of three months from the date of commencement of this Act, and thereafter, from time to time, notify the list of schemes, subsidies, benefit or services for which such authentication or proof is required under section 3.

Application of Chapters III and VI of

5. The provisions of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall *mutatis mutandis* apply to authentication under this Act.

Act to be in addition and not in derogation of any other law

6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

Protection of action taken in good faith

7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer, or other employees of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

1695169-1-18

Power to make Rules

8. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make o carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, ules may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) specifying the manner of use of Aadhaar number for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhaar number may be used;

(b) any other matter which is required to be, or may be, specified, or in respect of which provision is to be made by rules.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after s made, before each House of the State Legislature, while it is in session for a al period of thirty days which may be comprised in one session or in two or ɔre successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so id or the session or sessions immediately following, both Houses agree in ıaking any modification in any rule or both Houses agree that rule should not be ıade, and notify their decision to that effect in the *Gazette*, the rule shall, from he date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

Power to remove difficulty

9. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the *Gazette*, make such provision not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two ears from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may e, after it is made, before each House of the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The correct identification of targeted beneficiaries for delivery of various subsidies, benefits, vices, grants, wages and other social benefits schemes which are funded from the consolidated fund of State of Uttar Pradesh is critical to the effective implementation of these programs. Such correct geting of programs would facilitate complete coverage for certain categories of persons such as women, ldren, senior citizens, persons with disabilities, migrated, unskilled and unorganised workers and ıadic tribes, etc. A credible system to authenticate the identity of beneficiaries would further ensure that subsidies, benefits and services reach to the intended beneficiaries.

The Government of India has enacted the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other idies, Benefits and services) Act, 2016 for delivery of various subsidies, benefits, services, grants, es and other social benefit schemes which are funded from the Consolidated Fund of India. As per on 57 of the said Act, it does not prevent the use of Aadhaar number for establishing the identity of an idual for any purpose by the State Government. Accordingly, it is required to have State's own Act nking the use of Aadhaar identification for delivery of various subsidies, benefits, services, grants, s and other social benefit schemes which are funded from the Consolidated fund of the State of Uttar sh.

In view of the above it has been decided to make a law to provide for, as a good governance measure, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Uttar Pradesh using Aadhaar as a sole identifier, and for matters connected therewith and incidental thereto.

The Uttar Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 792 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2493)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 153 सा० विधायी–2018–(2494)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

792_RPH_adhiniyam 8_2018_Data 6 vidhaika folder